न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग

प्र0सं0 24 / 2024 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2024 / 259) पीठासीन अधिकारीः—श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

भगवान सिंह पुत्र पुरूषोतम जाति ब्राह्मण नि0 बहज तहसील डीग जिला डीग(राज0)

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग (राज0)

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 08.03.2025**

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 2623 / 0.06, 2629 / 0.07, 2630 / 0.11, 2631 / 0.10, 2632 / 0.12 जमाबन्दी खाता संख्या 348 आराजी खसरा नम्बर 3234 / 0.24 जमाबन्दी खाता संख्या 695 व आराजी खसरा नम्बर 2622 / 0.06, 2625 / 0.19, 2659 / 0.25, 2676 / 0.54, 2703 / 0.24, 3108 / 0.12, 3186 / 0.17, 3205 / 0.15, 3212 / 0.16, 3226 / 0.18, 3231 / 0.21, 3236 / 0.20, 3242 / 0.16, 3243 / 0.11, जमाबन्दी खाता संख्या 702 व खसरा नम्बर 3250 / 0.15 जमाबन्दी खाता संख्या 711 वाके ग्राम बहज प्रथम व खसर नम्बर 5434 / 0.25, 6183 / 0.26, 6186 / 0.20, 6334 / 0.18, 6401 / 0.16 जमाबन्दी खाता संख्या 548 खसरा नम्बर 5429 / 0.23 जमाबन्दी खाता संख्या 549 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज है। आराजी मुत0 प्रार्थी की पैत्रिक पुश्तैनी आराजी है जो विरासत से प्रार्थी को प्राप्त हुई है प्रार्थी के पिता पुरूषोतम पुत्र चूरामन की मृत्यु के बाद विरासत से प्रार्थी को प्राप्त हुई जो प्रार्थी के पैत्रिक आराजी है। पिता पुरूषोतम की मृत्यु के बाद जब विरासत का दाखिल खारिज दर्ज हुआ और प्रार्थी का नाम आधार कार्ड,राशनकार्ड पहचान पत्र वोटर आई.डी. में भगवान सिंह है। मगर विरासत का दाखिल खारिज दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम ग्राम बहज प्रथम की आराजी खसरा नम्बरान 2623 / 0.06, 2629 / 0.07, 2630 / 0.11, 2631 / 0.10, 2632 / 0.12, 3234 / 0.24, 2622 / 0.06, 2625 / 0.19, 2659 / 0.25, 2676 / 0.54, 2703 / 0.24, 3180 / 0.12, 3186 / 0.17, 3205 / 0.15, 3212 / 0.16, 3226 / 0.18, 3231 / 0.21, 3236 / 0.20, 3242 / 0.16, 3243 / 0.11, 3250 / 0.15 में गलत रूप से भगवान सहाय व गॉव बहज द्वितीय की आराजी खसरा नम्बरान 5434 / 0.25, 6183 / 0.26, 6186 / 0.20, 6334 / 0.18, 6401 / 0.16, 5429 / 0.23 में गलत रूप से भगवान प्रसाद दर्ज हो गया है जोकि गलत है। जबकि प्रार्थी का सही नाम भगवान सिंह है और प्रार्थी का नाम आधार कार्ड,राशन कार्ड,पहचान पत्र वोटर आई.डी. में भगवान सिंह दर्ज है। गॉव में भी प्रार्थी को भगवान सिंह के नाम से जाना जाता है मगर घर में प्यार से भाई बहन प्रार्थी को भगवानसहाय व भगवान प्रसाद बोलते है। भगवान सिंह व भगवान प्रसाद नाम को कोई व्यक्ति नहीं है जब सही नाम भगवान सिंह है हाल

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भगवान सहाय व भगवान प्रसाद के स्थान पर भगवान सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बरान 2623/0.06, 2629/0.07, 2630/0.11, 2631/0.10, 2632/0.12, 3234/0.24, 2622/0.06, 2625/0.19, 2659/0.25, 2676/0.54, 2703/0.24, 3180/0.12, 3186/0.17, 3205/0.15, 3212/0.16, 3226/0.18, 3231/0.21, 3236/0.20, 3242/0.16, 3243/0.11, 3250/0.15 वाके ग्राम बहज प्रथम तथा आराजी खसरा नम्बरान 5434/0.25, 6183/0.26, 6186/0.20, 6334/0.18, 6401/0.16, 5429/0.23 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में भगवान प्रसाद दर्ज हो गया है गलत है भगवान सहाय व भगवान प्रसाद के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र पुरूषोतम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2025/112 दिनांक 10.01.2025 में अंकित किया गया है कि ''मुताविक जमाबन्दी ग्राम बहज प्रथम के खाता संख्या 348, 695, 702, 711 में भगवान सहाय पुत्र पुरूषोतम मुताविक हिस्सा जाति ब्राह्मण नि0 बहज दर्ज रिकार्ड है एवं ग्राम बहज द्वितीय के खाता संख्या 548 एवं 549 में भगवान प्रसाद पुत्र पुरूषोतम मुताविक हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी बहज दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थी द्वारा पेश किये गये आधार कार्ड,परिवार राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र में भगवान सिंह पुत्र पुरूषोतम जाति ब्राह्मण नि0 बहज दर्ज है। उक्त जमाबंदियों में दर्ज सहखातेदारों एवं अन्य ग्रामवासियान से पूछा गया तो अवगत कराया कि भगवानसहाय,भगवान प्रसाद एवं भगवान सिंह एक ही व्यक्ति है। जिनके पिताजी का नाम पुरूषोतम है सही नाम भगवान सिंह है। परन्तु गॉव में इन्हें भगवानसहाय एवं भगवान प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। उक्त नामों के गॉव में अलग अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकार्ड में इनका नाम भगवान सिंह किये जाने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है।''

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का नाम हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बरान 2623/0.06, 2629/0.07, 2630/0.11, 2631/0.10, 2632/0.12, 3234/0.24, 2622/0.06, 2625/0.19, 2659/0.25, 2676/0.54, 2703/0.24, 3180/0.12, 3186/0.17, 3205/0.15, 3212/0.16, 3226/0.18, 3231/0.21, 3236/0.20, 3242/0.16, 3243/0.11, 3250/0.15 वाके ग्राम बहज प्रथम तथा आराजी खसरा नम्बरान 5434/0.25, 6183/0.26, 6186/0.20, 6334/0.18, 6401/0.16, 5429/0.23 वाके ग्राम बहज द्वितीय तहसील डीग में भगवान प्रसाद दर्ज हो गया है गलत है भगवान सहाय व भगवान प्रसाद के स्थान पर भगवान सिंह पुत्र पुरूषोतम दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।.....

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरकरण 2598 दिनांक 08.07.2016 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरांत भरे गये विरासत के नामा0 में भगवान सहाय पिस0 पुरूषोतम दर्ज है। तहसीलदार डीग की रिपोर्ट मुताविक भगवान सहाय,भगवान प्रसाद एवं भगवान सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी का वास्तविक नाम भगवान सिंह है। भगवान सिंह के नाम से ही प्रार्थी के आधार कार्ड,राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। जमाबन्दी ग्राम बहज प्रथम के खाता संख्या 348, 695, 702, 711 में भगवान सहाय एवं ग्राम बहज द्वितीय के खाता संख्या 548 एवं 549 में भगवान प्रसाद के स्थान पर भगवान सिंह दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner